स्मृति–पत्र

१. संस्था का नाम : श्री ठाकुर जी महराज शिक्षा समिति।

२. संस्था का पता :ग्राम–हेरवल, जिला–हरदोई

३. संस्था का कार्यक्षेत्र:सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।

४. संस्था के उद्देश्य :

१. जनहित में लोगो का सामाजिक, मानसिक, नैतिक, चारित्रिक, सर्वधार्मिक, आध्यात्मिक, शारीरिक, शैक्षिक व बौद्धिक विकास करना।

२. जनसामान्य के लिए समय–समय पर सांस्कृतिक कार्यक्रम विचार गोष्ठी सेमिनार,सांस्कृतिक कार्यक्रम, महिला सम्मेलन, बाल सम्मेलन, जनहित सम्मेलन, खेलकूद प्रतियोगिता निःशुल्क स्वास्थ्य शिविर,ज्ञानवर्धक मनोरंजन कार्यक्रमो आदि जैसे नुक्कड नाटकों का आयोजन करना।

३. बालक / बालिकाओं के शैक्षिक विकास हेतु विद्यालयों / शिक्षण केन्द्रों / प्राइमरी विद्यालय / जूनियर विद्यालय / हाई स्कूल विद्यालय / इण्टरमीडिएट कालेज / महाविद्यालय / महाविद्यालय बालक एंव बालिकाओं / टीचर्स ट्रेनिंग प्रोग्राम (बी० टी० सी०, बी०एड, एम० एड०) / प्रबन्धन कॉलेज / नर्सिंग कॉलेज, पैरा मेडिकल कॉलेज, बी० टेक०–एम० टेक / मेडिकल कालेज की स्थापना, शासन की पूर्वअनुमति के उपरान्त खोलना तथा संचालन करना एंव अन्य ट्रेनिंग कालेजों मे निःशुल्क शिक्षण एंव प्रशिक्षण की व्यवस्था एवं स्थापना करना जिसमें प्राइमरी स्तर से लेकर उच्च स्तर तक की शिक्षा की व्यवस्था ,शोध पीठ, परास्नातक स्तर के महाविद्यालय की स्थापना शासन की पुर्वानुमति के उपरान्त करना

४. महिलाओं / पुरुषो / बच्चों / शिशुओं अनाथ /लावरिस / विकलांग / निराश्रित बेघर बच्चों / बालिकाओं के लिए अनाथालय, शिक्षा, स्वास्थ्य की व्यवस्था करना तथा उनके पालन पोषण की व्यवस्था करना।

५. दहेज रहित सामूहिक विवाह समारोह का आयोजन करवाना तथा समाज का उत्थान करना ।

६. समाज मे फैली कुप्रथाओं के विरूद्ध समाज को जागृत करना तथा महिलाओ को उचित स्थान दिलाना में मदद करना करवाना।

७. महिलाओं एवं घरेलू महिलाओं मे रोजगार की भावना को जागृत कराना तथा उन्हे आत्मनिर्भर बनाने के स्वयं सहायता समूहों का गठन करना व करवाना ।

८. स्कील डवलपमेन्ट से सम्बन्धित प्रशिक्षण / जागरूकता कार्यक्रमों का निःशुल्क आयोजन करना तथा सरकार द्वारा चलाई जा रही योजनाओं का प्रचार प्रसार करना समाज को जागरूक करना।

९. बालक–बालिकाओं की शिक्षक प्रशिक्षण एवं रोजगारपूरक प्रोफेशनल, तकनीकी हाबी, पाठ्यक्रमों पर आधारित जैसे इंजीनियरिंग, मेडिकल, डेटल, नर्सिंग, मैनेजमेन्ट, पर्यावरण, कम्प्यूटर व सूचना प्रौद्योगिकी, फैशन टेक्नालोजी, इकोलाजी,

शान्ती देवी

Zeeshan, इरशाद R.K [illegible]

Babu Ram [illegible] Shoqueeb

टेक्सटाइल, डेयरी टेक्नालाजी, बायोटेक्नोलाजी समस्त लाईफ साइंस इत्यादि के क्षेत्र में प्रशिक्षण की व्यवस्था करना, रोजगार के अवसर तालाशना व नियोजन में मदद करना तथा केन्द्र, विद्यालय व इंस्टीट्यूट की स्थापना व संचालन शासन के नियमानुसार करना।

१०. पर्यावरण से सम्बन्धित वृक्षारोपण कार्यक्रमों का संचालन करना तथा विकलांग बच्चों के लिए समय समय पर चेरीटी–शो करवाना ताकि उनका विकास किया जा सके।

११. समाज में निराश्रित, बेसहारा महिलाओं को निःशुल्क कानूनी सहायता प्रदान करना।

१२. मुस्लिम धर्म /अल्पसंख्यकों का प्रचार प्रसार मुस्लिम धर्म की स्थापना मुस्लिम कार्यक्रमो का आयोजन करना।

१३. मुस्लिम धर्म/अल्पसंख्यकों से सम्बन्धित साहित्य का प्रकाशन एंव उच्च स्तरीय ज्ञानवर्धन पुस्तकालय व वाचनालय की व्यवस्था करना।

१४. मुस्लिम धर्म /अल्पसंख्यकों के बालक बालिकाओं की भलाई व उनके शैक्षिक उत्थान व विकास के लिए कार्य करना।

१५. मुस्लिम धर्म/अल्पसंख्यकों के बालक बालिकाओं को उच्च शिक्षा तकनीकी शिक्षा, विभिन्न प्रशिक्षण निःशुल्क प्रदान करना।

१६. देश की एकता व अखण्डता के लिए छात्रों में अनुशासन की भावना का उद्भव विकास करना।

१७. शिक्षा के साथ साथ लोगों को तकनीकी प्रशिक्षण भी देना जिसमे वे आत्मनिर्भर रहे सके।

१८. गरीब मेधावी छात्रों को दूर दराज भेजने हेतु हर संभव सहायता करना तथा सरकार द्वारा सुविधा प्राप्त कराने का प्रयास करना।

१९. अशिक्षा को समाप्त करने की दृष्टि से प्रौढ़ों के लिए प्रशिक्षण केन्द्र की व्यवस्था करना व प्रौढ़ों को निःशुल्क शिक्षा देना।

२०. बौद्धिक विकास हेतु वाद विवाद प्रतियोगिताओं, सेमिनारों, अन्ताक्षरी व प्रदर्शनी आदि का आयोजन करना।

२१. अल्पसंख्यक समुदाय के विकास हेतु सरकार द्वारा अल्पसंख्यकों की दी जाने वाली सुविधाओं को मुहैया करने में सहयोग प्रदान करना।

२२. उ०प्र० खादी तथा ग्रामोद्योग बोर्ड/अखिल भारतीय खादी तथा ग्रामोद्योग कमीशन द्वारा संचालित समस्त ग्रामीण व लद्यु ग्रामोद्योग की स्थापना करना तथा उसके प्रचार प्रसार की व्यवस्था करना।

२३. समस्त प्रकार के मानवोपयोगी एवं राष्ट्र हितकारी शिविरो जैसे दहेज उन्मूलन, विधवा विवाह, बालविवाह, बाल मजदूरी, बालश्रम, परिवार कल्याण, वृक्षारोपण निवारण आदि की व्यवस्था मे सहयोग करना।

२४. अप्रवासी भारतीयों के साथ भारतीय सभ्यता व संस्कृति का महत्व बनाये रखने के लिए समय–समय पर सांस्कृतिक समारोहों/सेमिनारों का आयोजन करना ।

Zeeshan ... R. ... शान्ती देवी

Radha Rani ... Shaymal

नियमावली

१. संस्था का नाम : श्री ठाकुर जी महराज शिक्षा समिति।

२. संस्था का पता : ग्राम–हेरवल, जिला–हरदोई ।

३. संस्था का कार्यक्षेत्रः सम्पूर्ण उत्तर प्रदेश।

४. संस्था की सदस्यता एवं वर्ग

आजीवन सदस्य : जो व्यक्ति संस्था के विकास हेतु ५१०००/– रू. एक बार में या इतने ही मूल्य की सम्पत्ति चल या अचल रूप में निःस्वार्थ भाव से देंगे वे संस्था के आजीवन सदस्य होगे श्री एहतेशाम खान संस्था के आजीवन सदस्य है।

सामान्य सदस्य : जो व्यक्ति संस्था के उद्देश्यों में आस्था रखतें होंगे या संस्था के विकास हेतु १०१/– रू. वार्षिक सदस्यता शुल्क चन्दा स्वरूप निःस्वार्थ भाव से देंगे वे संस्था के सामान्य सदस्य होंगे

५. सदस्यता की समाप्ति : १. मृत्यु हो जाने पर ।
२. पागल या दिवालिया हो जाने पर ।
३. संस्था के विपरीत हानि कर कार्य करने पर ।
४. अविश्वास प्रस्ताव या त्याग पत्र पारित होने पर ।
५. नियमित रूप से सदस्यता शुल्क न देने पर ।
६. लगातार तीन बैठकों में अनुपस्थित रहने पर ।
७. नैतिक अपराध में न्यायालय द्वारा दंण्डित होने पर ।

६. संस्था के अंग : अ.साधारण सभा
ब. प्रबन्धकारिणी समिति

७. साधारण सभा गठन : साधारण सभा का गठन आजीवन और सामान्य सदस्यों को मिलाकर किया जायेगा ।

बैठकें : साधारण सभा की सामान्य बैठक साल में एक बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है

सूचना अवधि : साधरण सभा की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम १५ दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना ७ दिन पूर्व सदस्यों को दी जायेगी

शान्ती देवी R-R Zeeshan. रखशाद Shakeel जहीर Babu Ram

गणपूर्ति : साधारण सभा की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में से २/३ सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी ।

विशेष वार्षिक अधिवेशन की तिथि

साधारण सभा का विशेष वार्षिक अधिवेशन साल में एक बार होगा जिसकी तिथि प्रबन्धकारिणी समिति के २/३ सदस्यों, के बहुमत से तय किया जायेगा

साधरण सभा के अधिकार एवं कर्तव्य :

१. प्रबन्धकारिणी समिति का निर्वाचन करना ।
२. संस्था का वार्षिक बजट पास करना ।
३. संस्था की वार्षिक रिपोर्ट पास करना ।
४. संस्था के नियमों एवं विनियमों में २/३ सदस्यों के बहुमत से परिवर्तन या परिवर्धन करना ।

८. प्रबन्धकारिणी समिति :

गठन : साधारण सभा द्वारा निर्वाचित सदस्यों को मिलाकर प्रबन्धकारिणी समिति का गठन होगा जिसमें अध्यक्ष –एक, उपाध्यक्ष–एक, प्रबन्धक/सचिव–एक, कोषाध्यक्ष–एक एवं सदस्य–३ होंगे इस प्रकार कुल संख्या मिलाकर ७ होगी जो आवश्यतानुसार बढ़ाई और घटाई भी जा सकती है प्रबन्धक का पद स्थाई होगा प्रबन्धक का चुनाव नही होगा।

बैठक : प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक साल में चार बार व विशेष बैठक आवश्यकतानुसार किसी भी समय बुलाई जा सकती है ।

सूचना अवधि : प्रबन्धकारिणी समिति की सामान्य बैठक की सूचना कम से कम ७ दिन पूर्व व विशेष बैठक की सूचना ३ दिन पूर्व सदस्यों को लिखित रूप में दी जायेगी।

गणपूर्ति : प्रबन्धकारिणी समिति की गणपूर्ति हेतु कुल सदस्यों में से २/३ सदस्यों की उपस्थिति गणपूर्ति मान्य होगी ।

रिक्त स्थानों की पूर्ति : प्रबन्धकारिणी समिति के अन्तर्गत किसी भी प्रकार की आकस्मिक स्थान के रिक्त होने पर उसकी पूर्ति साधारण सभा के २/३ सदस्यों के बहुमत से शेष कार्यकाल के लिए की जायेगी ।

प्रबन्धकारिणी समिति के अधिकार व कर्तव्य :

१. संस्था की उन्नति के लिए आवश्यक कार्य करना ।
२. संस्था का वार्षिक बजट तैयार करना।
३. संस्था का वार्षिक रिपोर्ट तैयार करना ।
४. समाज कल्याण विभाग उ०प्र० तथा केन्द्रीय एवं राज्य समाज कल्याण सलाहकार बोर्ड, कपार्ट, भारत सरकार

Zeeshan रईशाद R. R [illegible] शान्ती देवी
Babu Ram जुबेर Shamsul

खेलकूद मंत्रालय, मानव संसाधन विकास मंत्रालय, महिला कल्याण निगम/ निदेशालय/ बोर्ड/आयोग, युवा कार्यक्रम एवं खेल मंत्रालय भारत सरकार, अवार्ड, नाबार्ड, मानव संसाधन विकास मन्त्रालय, यूनीसेफ, सिडबी पर्यावरण मन्त्रालय,स्वास्थ्य विभाग/स्वास्थ्य मंत्रालय, शिक्षा विभाग, महिलाकल्याण निगम/ बोर्ड/ आयोग/ कमीशन/निदेशालय, पशु मंत्रालय, विश्व बैक,यू०पी०डी०ए० एस० पी०,डवाकरा,सैफ इण्डिया, सूडा, डूडा खादी ग्रामोद्योग बोर्ड व आयोग, संस्कृति विभाग, संस्कृति मंत्रालय, दानशील व्यक्तियों, अल्पसंख्यक प्रकोष्ठ,अल्पसंख्यक विभाग, बोर्ड, समाज के प्रतिष्ठित व्यक्तियों, सांसद निधि, विधायक निधि, समाज सेवी संस्थाओं से वित्तीय सहायता, बैंको, राष्ट्रीयकृत बैंको,प्राइवेट बैक/अन्य वित्तीय संस्थानों से दान अनुदान व चन्दा, ऋण प्राप्त करके उद्देश्यों की पूर्ति में लगाना

५. अन्य उपसमितियों का गठन करना व उनका संचालन करना।

कार्यकाल : प्रबन्धकारिणी समिति का कार्यकाल 5 साल का होगा ।

६. प्रबन्धकारिणी समिति के पदाधिकारियों के अधिकार व कर्तव्य :

अध्यक्ष

१. सभी प्रकार की बैठकों की अध्यक्षता करना।
२. बैठकों के लिये दिनांको का अनुमोदन करना परिवर्तन करना व बैठकों को स्थगित करना।
३. राजकीय एवं शासकीय कार्य करना एंव समिति का विकास करना ।
४. कार्यक्रमों की रूपरेखा तैयार करना ।

उपाध्यक्ष

अध्यक्ष की अनुपस्थिति में अध्यक्ष द्वारा सौपे गये कार्य समिति के हित में करना।

प्रबन्धक/सचिव

१. संस्था के कार्यो को मुख्य कार्यपालक के रूप में करना।
२. संस्था की ओर से पत्र व्यवहार करना।
३. संस्था के आडिट की व्यवस्था करना।
४. सदस्यो के नामांकन पत्र पर विचार करना ।
५. चल व अचल सम्पत्ति की देख–रेख करना ।
६. चेक,बिल, डिमान्ड ड्राफ्टों पर हस्ताक्षर करना।
७. संस्था के सदस्यों एवं कर्मचारियों/अधिकारियों की नियुक्ति, निष्कासन, पदोन्नति, कार्यमुक्ति करना ।

८. चल अचल सम्पत्ति की क्रय विक्रय एंव बैंक में ऋण प्राप्त हेतु बन्धक के रूप में रखना तथा ऋण प्राप्त करना।

९. समिति के ओर से समस्त पत्र व्यवहार करना।

१०. सदस्यता हेतु सदस्यों को लिखित रूप से सदस्यता प्रदान हेतु आवेदन पत्र पर स्वीकृति प्रदान करना ।

कोषाध्यक्ष

१. आय–व्यय का ब्यौरा तैयार करना।

२. अध्यक्ष एंव प्रबन्धक द्वारा हस्तक्षिरित बिलों का भुगतान करना।

३. सदस्यों से दान चंदा प्राप्त करना तथा बैक में जमा करना।

१०. संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन प्रक्रिया :

: संस्था के नियमों एवं विनियमों में संशोधन, परितर्वन या परिवर्धन सम्बन्धी कार्यवाही साधारण सभा के २/३ सदस्यों के बहुमत से परिवर्तन या परिवर्धन किया जायेगा ।

११. संस्था का कोष : संस्था का समस्त कोष किसी भी स्थानीय मान्यता प्राप्त बैंक/प्राइवेट बैंक/राष्ट्रीयकृत बैंक या पोस्ट आफिस में संस्था के नाम से खाता खोलकर जमा किया जायेगा जिसका संचालन कोषाध्यक्ष के एकल हस्ताक्षर से किया जाएगा अथवा संस्था को यदि संयुक्त खाते की आवश्यकता होती है तो संस्था का खाता कोषाध्यक्ष एंव प्रबन्धक/सचिव के संयुक्त हस्ताक्षर से किया जायेगा।

१२. संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण (आडिट) :

संस्था के आय व्यय का लेखा परीक्षण प्रतिवर्ष सुयोग्य आडिटर द्वारा कराया जायेगा ।

१३. संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही से संचालन का उत्तरदायित्व :

संस्था के द्वारा अथवा उसके विरूद्ध अदालती कार्यवाही के संचालन का उत्तरदायित्व प्रबन्धक/सचिव पर होगा या उनके द्वारा अधिकृत किसी भी अन्य व्यक्ति पर होगा क्षेत्रीय न्यायालय में ।

१४. संस्था के अभिलेख : सदस्यता रजिस्टर, एजेण्डा कार्यवाही, कार्यवाही रजिस्टर, स्टाक रजिस्टर।

१५. विघटन : संस्था का विघटन तथा विघटित सम्पत्ति की कार्यवाही सोसाइटीज् रजिस्ट्रेशन एक्ट की धारा १३ व १४ के अन्तर्गत की जायेगी ।

(सत्य प्रतिलिपि)

दिनांक

:: हस्ताक्षर ::

शान्ती देवी

R.R. [illegible]

Zeeshan . इरशाद

Shaqul

Babu Ram जहीर